an>

Title: Need to formulate a comprehensive programme to protect children from socio-economic evils.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इसी बाल रूप को संवार और सहेजकर ही कोई राष्ट्र बुलंदियों को छू सकता है। हमारे देश में बच्चें के साथ होने वाले अत्याचारों, अपराधों, शोषण और यातनाओं की अनगिनत घटनाएं रोज घटती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, अशिक्षा और अज्ञानता बाल दुर्व्यापार के अपराध को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसके चलते लाखों बच्चे आजादी, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं। भारत में बच्चों की संख्या 41.4 करोड़ से अधिक है जो कि दुनिया के किसी भी देश के बच्चों की संख्या की तुलना में सबसे ज्यादा है, लेकिन दुःख की बात है कि इनमें से अनेक बच्चे सामाजिक-आर्थिक कारणों से अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं। यूनीसेफ के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 10 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते तथा देश् में लगभग 10 करोड़ बाल श्रमिक हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 3,1470 बच्चे दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, बंगलौर तथा हैदराबाद की सड़कों पर जीवनयापन कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 45000 बच्चे गायब होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे तो वापस मिल जाते हैं, कुछ के शव बरामद होते हैं और कुछ का तो पता ही नहीं चल पाता है।

आज की भागती-दौड़ती जिंदगी में संयुक्त परिवारों का विघटन माता-पिता की अति व्यस्तता, बच्चों का अधिक समय तक अकेले रहना, बच्चों के शोषण के प्रति अनभिज्ञता आदि की वजह से भी बच्चों पर हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है। बच्चों को उनकी मौजूदा दुर्दशा से मुक्त कराने के लिए सरकार को बाल संरक्षण आयोग को और शक्ति संपन्न बनाने के साथ ही पुलिस, एन.जी.ओ. तथा सामाजिक संगठनों के आपसी समन्वय के साथ बचपन केंद्रित कार्ययोजना बनाकर इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए।